मेसर्स नोला राम दुलीचंद दाल मिल्स एवं अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील नं० 10636/2010) फरवरी 14, 2020

[दीपक गुप्ता एवं हेमन्त गुप्ता जे०जे०]

आयात-निर्यात नीतिः विदेश व्यापार नीति 2004-2009-साल 2006-2007 के संबंध में जारी नीति के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि निर्यातोन्मुखी इकाई के द्वारा किया गया। निर्यात डियूटी क्रेडिट पात्रता के लिये मान्य नहीं होगा -सकुर्लर दिनांकित 21-01-2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 1.04.2006 से दिनांक 31.32007 तक निर्यातोन्मुखी इकाई के द्वारा किया गया निर्यात विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगा -अपीलार्थी के द्वारा ग्वारगम, ग्वारचिरी तथा कोरमा से संबंधित उत्पादन व व्यापार किया जा रहा था। ग्वारगम पाउडर एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई से खरीदा जा रहा था -अपीलार्थी के द्वारा एक रिटयाचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त सर्कुलर को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी कि उक्त सर्कुलर विदेश व्यापार नीति 2004.2009 के विपरीत है-उच्च न्यायालय ने रिटयाचिका खारिज कर दी तथा यह माना कि सर्कुलर दिनांकि 21.01.2009 के द्वारा 2006.2007 के लिए अधिसूचित योजना को संशोधित नहीं किया गया है-केवल यह स्पष्ट किया गया है कि 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई जो कि किसी लाभ की अधिकारी नहीं है वह अप्रयत्यक्ष रूप से खरीदार के माध्यम से लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। योजना में किसी प्रकार का सुधार अथवा संशोधन किये जाने पर उसका राजपत्र में प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। परन्तु अगर योजना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण किसी प्रकार की दुविधा को दूर करने के लिए लाया जाता है तो उसे प्रकाशित किया जाना आवश्यक नहीं है। योजना का उद्देश्य यह है कि ऐसी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इंकाई जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना है -अधिसूचित योजना का उद्देश्य 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इंकाई को प्रोत्साहन देकर विफल नहीं किया जा सकता है। योजना के खण्ड 3.8.5 में सरकार ने इस अधिकार को सुरक्षित रखा है कि वह समय-समय पर निर्यात उत्पादन को निर्दिष्ट कर सकती है जो गणना के समय किसी प्रकार का लाभ पाने के अधिकारी नहीं होंगे-इसलिए परिपत्र दिनांकित 21.1.09 किसी भी तरीके से अवैध नहीं कहा जा सकता है। चूंकि अपीलार्थी एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई का खरीदार है। अतः वह वर्ष 2000-2007 के लिए बनायी गयी नीति के उद्देश्य से बच नहीं सकता -विदेश व्यापार;विकास एवं विनियम; अधिनियम 1992 धारा 5

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने यह माना कि

1.1 विदेशी व्यापार;विकास और विनियमनद्ध अधिनियमए 1992 की धारा 5 केन्द्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में विदेश व्यापार नीति की अधिसूचना तैयार करने और घोषित करने का अधिकार देती है और इस तरह से समय -समय पर उस नीति में संशोधन भी कर सकती है। समय। सर्कुलर दिनांक 21 जनवरी 2009 वर्ष 2006-07 के लिए अधिसूचित योजना को संशोधित या संशोधित नहीं करता है। यह केवल स्पष्ट करता है कि 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुक्त इकाईयां जो कि छूट पाने की हकदार नहीं हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने खरीदारों के माध्यम से इस लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं

उनसे खरीदारों के माध्यम से योजना के खण्ड 3.8.5 के संदर्भ में, सरकार ने समय-समय पर निर्यात उत्पदों को निर्दिष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखा है जो पात्रता की गणना के लिए पात्र नहीं होंगे। चूंकि सरकार ने अधिनियम के तहत अधिसूचित योजना के संदर्भ में

सार्वजनिक हित में अधिकार सुरक्षित रखा हैए इसलिए 21 जनवरी 2009 के परिपत्र को किसी भी तरीके से अवैध नहीं कहा जा सकता है।

1.2 इस तर्क में कोई बल नहीं है यह योजना अप्रैल 2006 में योजना के साथ अधिसूचित एफ0एम0एस0 से संबंधित डी0टी0ए0 में इकाईयों को कोई लाभ प्रदान नहीं करती है क्योंकि खण्ड 3.8.2.2 में डी0डी0ए0 को छूट प्रदान करने से वंचित नहीं किया गया है। चूंकि अपीलकर्ता 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई का हकदार है। अतः अपीलार्थी;खरीदारद्धके माध्यम से सालाना योजना 2006-2007 के इच्छित उद्देश्य से बचा नहीं जा सकता है। निर्यातोन्मुखी इकाई अपीलार्थी के माध्यम से निर्यात के द्वारा योजना में प्रदान लाभ को प्राप्त नहीं कर सकती है चूंकि यह लाभ उसे सीधे दिया जाना स्वीकार नहीं है।

महानिदेशक, विदेश व्यापार व अन्य बनाम कनक एक्सपोर्ट
[2016] 2 एस0सी0सी0 266: [2015] 15 एस0सी0आर0
287-संदर्भित।
केस लॉ सन्दर्भ [2015] 15 एस0सी0आर0 287 पैरा 9
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं0 10636/2010 की।

राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 2009 का 13519 के विरूद्ध निर्णय और आदेश दिनांकित 18.10.2010 के

सिविल अपील सं0 2009 के 7257, 2010 के 10637 और 2009 के 7233

अरिजीत प्रसाद, सीनियर सलाहकार, विवेक शर्मा, अभिषेक आनंद, ईशान सरन, एमपी देवनाथ, सुश्री रश्मि मल्होत्रा, सुश्री गार्गी खन्ना, श्रीमती अनिल कटियार, ए0एन0 अरोड़ा, अरविंद कुमार शर्मा, बी। कृष्ण प्रसाद, ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, सुश्री पलक चड्ढा, सुश्री रूचिका जोशी, श्रीमती बीना गुप्ता, सलाहकार। दिखाई देने वाली पार्टियों के लिए।

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति

सिविल अपील नं0 2010 का 10636

1. प्रस्तुत अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। रिट याचिका में, चुनौती 21 * जनवरी, 2009 के एक परिपत्र को इस आधार पर दी गई थी कि यह विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के विपरीत है। ऐसी नीति विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत जारी की जाती है। एफटीपी प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रदान करता है।

2. वर्तमान में फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वन उपज, डेयरी, पोल्ट्री और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए "विशेष कृषि उपज योजना *" से संबंधित मामला है। वर्ष 2005-06 के लिए अधिसूचित योजना में, योजना के तहत शुल्क ऋण पात्रता के लिए निम्नलिखित निर्यातों को ध्यान में नहीं रखा जाना थाः

"3.8 विशेष कृषि यूपीजे योजना

(विशेष कृषि उत्पाद योजना)
XXXXXX

3.8.2.2। निम्नलिखित निर्यात को शुल्क के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा
योजना के तहत ऋण पात्रता

(ए) पैरा 2.35 के तहत कवर किए गए आयातित सामानों का निर्यात

विदेश व्यापार नीति या ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किए गए निर्यात।

(बी) डीम्ड निर्यात (यहां तक कि जब भुगतान मुफ्त में प्राप्त होते हैं

विदेशी मुद्रा और भुगतान ईईएफसी खाते से किया जाता है)।

3. हालाँकि, 7 अप्रैल 2006 को वर्ष 2006-2007 के लिए अधिसूचित योजना में, खंड 3.8 और 3.8.2.2 को बदल दिया गया। खंड इस प्रकार हैः
3.8 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना

(विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग योजना)

XXXXXX
3.8.2.2. योजना के तहत शुल्क माफी पात्रता के लिए निम्नलिखित निर्यात को ध्यान में नहीं रखा जायेगा

(ए) पैरा 2.35 के तहत कवर किए गए आयातित सामानों का निर्यात अथवा

विदेश व्यापार नीति या ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किए गए निर्यात।

(ख) डीम्ड एक्सपोर्ट।

(ग) एसईजेड इकाइयों और ईओयू इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात।
XXXXXX

3.8.5। सरकार सार्वजनिक हित में अधिकार सुरक्षित रखती है, निर्दिष्ट करने के लिए

समय-समय पर निर्यात उत्पाद, जो कि गणना के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. सर्कुलर दिनांक 21 * जनवरी, 2009 जारी किया गया था ताकि वर्ष 2006-07 के लिए अधिसूचित योजना को स्पष्ट किया जा सके। परिपत्र का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

XXXXXX

2. हालांकि, एफटीपी आरई-2006 (7.4.2006 को जारी) के द्वारा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई

के द्वारा किया गया निर्यात वीकेजीयूवाई के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। द्वारा [पैरा 3.8.2.2 (सी)], एफटीपी में

आरई-2006, दो नई योजनाएं, फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)

और फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) शुरू की गई।

एफएमएस के लिए पैरा 3.92.2 (बी) के तहत प्रावधान किए गए थे, और इसके तहत

एफपीएस के लिए पैरा 3.10.2.2 (बी)। तदनुसार, से अवधि के लिए
1.4.2006 से 31.3.2007, ईओयू द्वारा किए गए निर्यात (या डीटीए के माध्यम से)

इकाइयाँ) वीकेजीयूवाई, एफएमएस और एफपीएस के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

5. कहा जाता है कि अपीलकर्ता घरेलू और निर्यात बाजार में ग्वार गम, ग्वार चेरी और कोरमा, रिफाइंड स्प्लिट्स और ग्वार गम पाउडर के निर्माण/व्यापार और बिक्री में लगा हुआ है। अपीलकर्ता का दावा है कि वह मेसर्स से ग्वार गम पाउडर खरीद रहा है। नीलकंठ पॉलिमर्स, जो 100% निर्यातोन्मुख इकाई है। उक्त आपूर्तिकर्ता से खरीदारी करने के कारण कई हैं और वाणिज्यिक प्रकृति के हैं। रिट याचिका में, यह निम्नानुसार कहा गया है:
“12. याचिकाकर्ता फर्म मैसर्स से ग्वार गम पाउडर खरीदती थी। नीलकंठ पॉलिमर इनवॉइस की आड़ में निर्माता का समर्थन करता है, जिसे आगे चलकर कांडला/मुंद्रा पोर्ट या कॉनकोर आईसीडी, जयपुर आदि में स्थित सीमा शुल्क बंदरगाह के माध्यम से शिपिंग बिल, वाणिज्यिक चालान, लदान बिल की आड़ में व्यापारी निर्यातक की क्षमता में निर्यात किया गया था।"

6. अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर परिपत्र को रद्द करने की मांग की है कि यह 7 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित नीति के विपरीत है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि योजना को अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। इसलिए, ऐसी योजना में एक वैधानिक शक्ति होती है जिसे कार्यकारी परिपत्र जारी करके संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र योजना के विपरीत होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 3 और 5 का हवाला दिया, जो इस प्रकार है: -
“3. आयात और निर्यात से संबंधित प्रावधान करने की शक्तियां.-(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, आयात को सुविधाजनक बनाने और निर्यात को बढ़ाकर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान कर सकती है।
(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, सभी मामलों में या निर्दिष्ट वर्गों के मामलों में और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, को प्रतिबंधित करने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा विनियमित करने का प्रावधान कर सकती है। आदेश द्वारा या उसके अंतर्गत, वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का आयात या निर्यात:

बशर्ते कि इस उपधारा के प्रावधान सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के मामले में तभी लागू होंगे, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ उठा रहा हो या निर्दिष्ट सेवाओं या निर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों से निपट रहा हो।

(3) वे सभी सामान जिन पर उप-धारा (2) के तहत कोई भी आदेश लागू होता है, वे सामान माने जाएंगे जिनका आयात या निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 और सभी प्रावधानों के तहत निषिद्ध है। उस अधिनियम का तदनुसार प्रभाव होगा।

(4) किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश में निहित किसी भी चीज़ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी सामान के आयात या निर्यात के लिए कोई परमिट या लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा, न ही किसी भी सामान को आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस अधिनियम, या इसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के तहत आवश्यक होना चाहिए।

5. विदेश व्यापार नीति - केंद्र सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विदेश व्यापार नीति तैयार और घोषित कर सकती है और उसी तरह उस नीति में संशोधन भी कर सकती है बशर्ते कि केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में, विदेश व्यापार नीति ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर लागू होगी, जैसा कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि योजना योजना के साथ अधिसूचित फोकस मार्केट स्कीम 5 से संबंधित घरेलू टैरिफ क्षेत्र 4 में इकाइयों द्वारा निर्यात के लाभ को बाहर करती है। इसलिए, एफएमएस में डीटीए द्वारा निर्यात का विशिष्ट बहिष्कार था, जबकि योजना में ऐसा कोई बहिष्कार नहीं है। इसलिए, राजस्व ने एक ही दिन में अधिसूचित दो योजनाओं के बीच अंतर कर दिया है, जिससे पता चलता है कि राजस्व ने दो योजनाओं को अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया है, इसलिए, एसईजेड और ईयूओ इकाइयों में इकाइयों के अलावा अन्य निर्यात निर्यात के लाभ के हकदार हैं।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि पैरा 3.8.2.2 में, निर्यात का लाभ उपलब्ध नहीं है यदि निर्यात ईओयू या एसईजेड इकाइयों में स्थित इकाइयों द्वारा किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि केवल इन इकाइयों द्वारा किया गया निर्यात प्रोत्साहन का हकदार नहीं है, जबकि अपीलकर्ता ईओयू या एसईजेड इकाई का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति 'ईओयू और एसईजेड इकाई द्वारा' किए गए निर्यात हैं, न कि 'उनके माध्यम से'।

9. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरिजीत प्रसाद इस न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हैं जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक एवं अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है। वी. कनक एक्सपोर्ट्स और अन्य 6 जिसमें आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के तहत अधिसूचित एफटीपी के संबंध में, यह माना गया कि सरकार को किसी विशेष योजना में संशोधन, संशोधन या यहां तक कि रद्द करने का अधिकार है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

105. हम शुरुआत में कह सकते हैं कि सरकार द्वारा प्रख्यापित विचाराधीन प्रोत्साहन योजना रियायत या प्रोत्साहन की प्रकृति में है जो केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। ऐसा विशेषाधिकार देने या न देने का निर्णय सरकार को लेना है। यह भी घिसा-पिटा कानून है कि ऐसी छूटें, रियायतें या प्रोत्साहन कभी भी वापस लिये जा सकते हैं। ये सभी ऐसे मामले हैं जो सरकार के नीतिगत निर्णयों के दायरे में हैं। जब इस तरह के प्रोत्साहन को वापस ले लिया जाता है और यह भी दिखाया जाता है कि यह सार्वजनिक हित में किया गया था, तो न्यायालय इन नीतिगत निर्णयों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। यह इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित है और अब इसे कानून के स्थापित और अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, वचनबंधन के सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

109. इसलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार को किसी विशेष योजना में संशोधन, संशोधन या यहां तक कि रद्द करने का अधिकार है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जटिल आर्थिक मामलों में प्रत्येक निर्णय आवश्यक रूप से अनुभवजन्य होता है और यह प्रयोग या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है, पर आधारित होता है और इसलिए, इसकी वैधता का परीक्षण किसी कठोर पूर्व विचार या किसी स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले के अनुप्रयोग पर नहीं किया जा सकता है। . बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ [बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, (2002) 2 एससीसी 333] में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्यकारी कार्रवाई सहित कानूनों को अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। भाषण, धर्म आदि की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों में विधायिका को कुछ भूमिका निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसे जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले के माध्यम से समाधान की अनुमति नहीं देते हैं और यह विशेष रूप से सच है आर्थिक मामलों से संबंधित कानून के मामले में, जहां समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विधायिका को अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या इसे पूर्वव्यापी रूप से किया जा सकता है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अर्जित कुछ अधिकार छीन लिए जा सकते हैं?

10. यह तर्क दिया गया है कि 7 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित होने पर 100% निर्यात-उन्मुख इकाइयों को विशेष रूप से योजना के लाभ से बाहर रखा गया था। अपीलकर्ता उक्त 100% निर्यात-उन्मुख इकाई से क्रेता है और लाभ का दावा कर रहा है। इसके द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में योजना। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि 100% निर्यात-उन्मुख इकाइयां योजना के तहत लाभ की हकदार नहीं हैं, इसलिए, ऐसी निर्यात-उन्मुख इकाइयों के खरीदार भी योजना के लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह तर्क दिया जाता है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। चूंकि योजना में अस्पष्टता थी, इसलिए उसे स्पष्ट किया गया।

11. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाई है।

12. अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को विदेश व्यापार नीति को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तैयार करने और घोषित करने का अधिकार देती है और इसी तरह, समय-समय पर उस नीति में

संशोधन भी कर सकती है। 21 जनवरी, 2009 का परिपत्र वर्ष 2006 के लिए अधिसूचित योजना को संशोधित या संशोधित नहीं करता है-

07. यह केवल यह स्पष्ट करता है कि 100% निर्यातोन्मुख इकाइयाँ जो छूट पाने की हकदार नहीं हैं, उनसे खरीददारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यह योजना का संशोधन या संशोधन है जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा किया जाना आवश्यक है, लेकिन मौजूदा योजना में अस्पष्टता को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण नहीं। योजना के खंड 3.8.5 के संदर्भ में, सरकार ने समय-समय पर उन निर्यात उत्पादों को निर्दिष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखा है जो पात्रता की गणना के लिए पात्र नहीं होंगे। चूंकि सरकार ने अधिनियम के तहत अधिसूचित योजना के संदर्भ में सार्वजनिक हित में अधिकार सुरक्षित रखा है, इसलिए 21 जनवरी, 2009 के परिपत्र को किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है।

13. हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि निर्यात उन्मुख इकाई के माध्यम से किया गया निर्यात प्रोत्साहन का हकदार होगा। योजना का उद्देश्य यह है कि 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना है। अधिसूचित योजना के उद्देश्य और उद्देश्य को100% निर्यात उन्मुख इकाइयों के माध्यम से निर्यात करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देकर विफल नहीं किया जा सकता है।

14. हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि निर्यात उन्मुख इकाई के माध्यम से किया गया निर्यात प्रोत्साहन का हकदार होगा। योजना का उद्देश्य यह है कि 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना है। अधिसूचित योजना के उद्देश्य और उद्देश्य को 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों के माध्यम से निर्यात करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देकर विफल नहीं किया जा सकता है।

15. हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि अप्रैल 2006 में योजना के साथ अधिसूचित एफएमएस से संबंधित योजना में डीटीए में इकाइयों द्वारा निर्यात के लाभ को इस कारण से शामिल नहीं किया गया है कि एफएमएस में एक स्पष्ट खंड है जबकि डीटीए में नहीं था। योजना से संबंधित खंड 3.8.2.2 के तहत छूट का दावा करने से बाहर रखा गया है। चूंकि अपीलकर्ता 100% निर्यात-उन्मुख इकाई से क्रेता है, इसलिए, वर्ष 2006 के लिए पॉलिसी के इच्छित उद्देश्य से बचने के लिए अपीलकर्ता के माध्यम का उपयोग नहीं किया जा सकता है-

07. हमने पाया कि निर्यातोन्मुख इकाइयाँ योजना के तहत निर्यात के लिए अपीलकर्ता का उपयोग नहीं कर सकती हैं और निर्यात के लाभ का दावा नहीं कर सकती हैं जब यह उनके लिए सीधे तौर पर स्वीकार्य नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील आधार हीन होने के कारण खारिज की जाती है।

17. अपीलकर्ता 100% निर्यातोन्मुख इकाई है। ऐसी निर्यात-उन्मुख इकाई को विशेष रूप से पैरा 3.8.2.2 में योजना से बाहर रखा गया है, इसलिए, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है। उसी को खारिज किया जाता है।

2009 की सिविल अपील संख्या 7233 और 2009 की 7257

18. अपीलकर्ता ने नीति "विशेष कृषि उपज योजना" में बदलाव को चुनौती दी, जिसमें 100% निर्यात इकाइयों को इस आधार पर छूट के लाभ से वंचित कर दिया गया था कि नीति उत्तरदाताओं को पांच साल की अवधि के लिए बाध्य करती है और ऐसी नीति प्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण है। टैरिफ क्षेत्रों को बाहर रखा गया। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी: "याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने के बाद, हमें दिनांक 7.4.2006 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी -7) में कोई अवैधता नहीं मिली क्योंकि उक्त अधिसूचना के अनुसार सरकार ने निर्यात उन्मुख के रूप में उपरोक्त लाभ को वापस लेने का नीतिगत निर्णय लिया है। इकाइयों को कर छूट और कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न आवश्यकताओं को शुल्क मुक्त करने की अनुमति के लिए विशेष दर्जा प्राप्त है। वे आयकर लाभों का भी आनंद लेते हैं और मुख्य रूप से निर्यात के लिए स्थापित किए गए हैं, इसलिए, उन्हें डीटीए इकाइयों के बराबर नहीं माना जा सकता है जो इन सभी लाभों का आनंद नहीं लेते हैं। इसलिए, उक्त नीति के तहत लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों और निर्यात उन्मुख इकाइयों तक नहीं बढ़ाया गया है।

19. मैंने निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पायी। तदनुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं।

(दीपक गुप्ता) न्यायमूर्ति

(हेमंत गुप्ता) न्यायमूर्ति

नई दिल्ली;

14 फरवरी 2020.

Digitally signed by ANURAG KUREEL
Date: 2023.11.04 16:19:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court sitapur